

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

कमांक / रीडर / 2021 / 91
पार्थीगण बनाम

दिनांक :- 12.2.21
विप्रार्थीगण

मु.न. 19/2021

1. खेताराम पुत्र लिखमाराम जाट
निवासी भाण्डियावास
2. ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाट
निवासी भाण्डियावास
3. आसु देवी पत्नी लिखमाराम जाट
निवासी भाण्डियावास

1 राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक 12.2.21

उपर्युक्त प्रकरण मौजा भाण्डियावास पटवार क्षेत्र कुडी भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कुडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर खसरा न0 1187/214 रकबा 31.08 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उप सहायक कलेक्टर,
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक :- 12.2.21




कमांक :- रीडर / 2021 / 92-96

निलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-



1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना.....को पालना हेतु।
3. पटवारी कुडी तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमवन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. 1.खेताराम पुत्र लिखमाराम जाट निवासी भाण्डीयावास 2.ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाट निवासी भाण्डीयावास 3.आसु देवी पत्नी लिखमाराम जाट निवासी भाण्डीयावास
5. विप्रार्थीगण 1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा


उप मुख्य अधिकारी
उप मुख्य अधिकारी
(S.D.O.) बालातरा
बालातरा